न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 154/2013/वाद

निर्णय दिनांक :– 30.8.19

उनवानी दावा :

भंवरलाल पुत्र माधों जाति धाकड निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली, जिला–टोंक

– वादी –

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदारजी देवली जिला–टोंक

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

वाद उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज, स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि साबिक ख0नं0 283 मिन रकबा 4 बीघा वाके ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला–टोंक राज. में स्थित थी जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2036 में हो रखा है। सेटलमेंट के दौरान उक्त साबिक ख0नं0 के नये नम्बर 498 रकबा 0.51 है0 एवं ख0नं0 499 रकबा 0.57 है0 बनाये गये है। देवली में हुये सेटलमेंट के दौरान काफी अनियमितताएं एवं गलतियां की गई है जिसमें हाल ख0नं0 498 रकबा 0.51 है0 भूमि को तो वादी के नाम खातेदारी में लगा दी गई तथा आराजी ख0नं0 499 रकबा 0.57 है0 भूमि को सिवायचक घोषित कर दिया गया जबकि उक्त वर्णित आराजी भूमि ख0नं0 499 रकबा 0.57है में से 0.49 है0 भूमि वादी की खातेदारी की भूमि थी। वादी का उक्त वर्णित आराजीयात पर करीब 40 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी वादी उक्त आराजीयात पर काबिज है। सेटलमेंट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अवैध रूप से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0नं0 499 रकबा 0.57 है0 में से 0.49 है0 भूमि को सिवायचक घोषित कर दिया जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही था इस कारण वादी को आराजी भूमि ख0नं0 499 रकबा 0.57 है0 में से 0.49 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसके लिये यह वाद पेश है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जिसमें राजस्व रिकॉर्ड को स्वीकार करते हुए बताया कि ग्राम माधोसिंहपुरा पेराफरी क्षैत्र में है। ख. नं. 499 के कब्जे के साक्ष्य नहीं है। साबिक व हाल शीट की नकल नहीं है। दावा निरस्त योग्य है।

प्रकरण तनकियात में कायम कर साक्ष्यवादी में नियत किया गया। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी का पेश किया। प्रदर्श कराये जिसमें हाल नक्शा

ट्रेस प्रदर्श–1, जमाबन्दी ग्राम माधोसिंहपुरा प्रदर्श–2, संम्वत 2066–69 प्रदर्श–3, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 4 व 5, जमाबन्दी संम्वत 2033–36 प्रदर्श–6 है। साक्ष्य शपथ पत्र में वादी ने वाद के तथ्यो का दोहराते हुए बताया कि उक्त आराजी पर मेंरा 40 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वर्तमान में भी उक्त आराजी पर मैं ही काबिज हूं। पेरोकार सरकार ने कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के मुख्य बिन्दुओ को ही दोहराया।

प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है।

तनकी नं. 1:– यह है कि वादी को आराजी ख. नं. 499 रकबा 0.57 है0 में से 0.49 है0 भूमि वाके ग्राम माधेसिंहपुरा तहसील देवली का खातेदार काश्तकार घोषित करने व इसी अनुरूप राजसव रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने तथा प्रतिवादीगण को इस भूमि से वादी को बेदखल नही काने व आवंटन नही करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है?

–वादी–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। इसके लिए वादी ने प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत 2033–36 पेश किया जिसके कॉलम नं. 5 में वादी का नाम भंवरलाल पुत्र माधो कौम धाकड़ व कॉलम 6 में ख. नं. 283 मिन रकबा 4 बीघा और नामांतकरण नं. 110 दिनांक 17.10.77 को भंवरलाल को ख. नं. 283 मिन रकबा 4 बीघा खातेदारी स्वीकार है, अंकित है। प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस में ख. नं. 498 व 499 दर्शित है। नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–2065 ग्राम माधोसिंहपुरा में 283 मिन रकबा 4 बीघा से ख. नं. 498 रकबा 0.51 है0 व ख. नं. 499 रकबा 0.57 है0 व ख. नं. 283 मिन से ही ख. नं. 501 रकबा 0.63 है0, 505 रकबा 0.47 है0, 508 रकबा 0.84 है0, 509 रकबा 0.46 है0, 510 रकबा 0.47 है0 दर्शाया गया है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी में वादी भंवरलाल के नाम ख. न. 498 रकबा 0.51 है0 दर्ज रिकॉर्ड है और प्रदर्श–3 में ख. नं. 499 रकबा 0.57 है0 सिवायचक काबिल काश्त दर्ज है। इस ख. नं. से यह स्पष्ट नही हो रहा है कि इसी रकबे में वादी की शेष भूमि समाहित है । वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नही किया है कि ख. नं. 499 रकबा 0.57 है0 में से 0.49 है0 पर वादी का कब्जाकाश्त है जिसके आधार पर यह सिद्ध हो सके कि यह ख. नं. वादी को आवंटित भूमि का एक भाग है। अतः तनकी नं. 1 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2:– यह है कि वाद का वाद पेराफेरी क्षैत्र होने, कब्जे के साक्ष्य नहीं होने से निरस्त योग्य है?

–पेरोकार सरकार–

इस तनकी का साबित करने का भार भी वादी पर ही था। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आराजी भूमि पेरोफेरी क्षैत्र में नहीं हैं और उक्त आराजी पर वादी का ही कब्जाकाश्त है। अतः यह तनकी भी भी विरूद्ध वादीपक्ष निर्णित की जाती है।

अतः साबिक नक्शा ट्रेस व कब्जे का रिकॉर्ड नहीं के अभाव में वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 20.08.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली